

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-106

पटना, दिनांक- 21/7/26

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर ई-टाईप एवं डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg l'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	GZ13206	श्री विशाल राज. भा0प्र0से0, प्रबंध निदेशक	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, ऊर्जा विभाग	E2/502, गर्दनीबाग
2.	GZ15234	श्रीमती गुंजन सिंह, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव	मुख्यमंत्री सचिवालय	E1/504, गर्दनीबाग
3.	BG8555	श्री चंदन कुमार, मंत्री के आप्त सचिव (सरकारी),	कृषि विभाग	D2/103 गर्दनीबाग
4.	BG8566	श्री कुमार धनन्जय, आप्त सचिव(राजपत्रित), मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल	संसदीय कार्य विभाग	D2/104 गर्दनीबाग
5.	GZ16225	श्री अभिषेक श्रीवास्तव, उप सचिव	मुख्यमंत्री सचिवालय	D2/201 गर्दनीबाग
6.	GZ16243	श्री. कन्हैया लाल पुष्कर, संयुक्त सचिव	राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	D2/202 गर्दनीबाग
7.	GZ16245	श्री अमरनाथ, वरीय पुलिस उपाधीक्षक	समादेष्टा का कार्यालय, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10	D2/203 गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010
2.	डी- टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मकान किराया भत्ता (HRA) के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरान्त आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

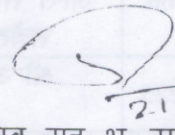
ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-01/2026-6741(भ)पटना, दिनांक:- 21/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/7/26

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

क्रमांक	विवरण	कर्मचारी	पद	विवरण
01023	05713	00513	माननीय सचिव पदाधिकारी	1
05183	05713	05713	माननीय सचिव पदाधिकारी	2

आपकी स्वीकृत प्रतिलिपि प्राप्त। माननीय मंत्री के निदेशानुसार कि चार्ज कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि प्रतिलिपि में लक्ष्य है। आप के (आप) को